MR. CHAIRMAN: Nobody is seeking permission for withdrawl. He is not there.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Therefore, the question of negation does not arise.

MR. CHAIRMAN: When he is not there to withdraw it, then it has to be rejected. What to do?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There is no questionn of their being negatived.

MR. CHAIRMAN: He has already moved them long back. Now they are no the record, either they have to be agreed to or rejected.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): The procedure is that if the Member moves an amendment, then only he is entitled to withdraw it. In case he is absent, it is for the House to accept, or, not to accept it. Therefore, you are absolutely correct when you say that the amendments are negatived.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

That the Member of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 1999."

The Motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty three minutes past one of clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1998-99 (MARCH, 1999)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) 1998-99 (March, 1999).

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF GOA

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Madam, I beg to move the following Resolution :—

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 10th February, 1999 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Goa."

उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि धारा 356 के अधीन जब भी कार्यवाही देश में की गई है और उस कार्यवाही के समर्थन में प्रस्ताव सदन में रखा गया है, सदैव इस पर विवाद होता है। जनता में भी विवाद रहा है और दलों में तो निश्चितरूप से विवाद रहा है। मैं समझता हूं कि इन 50. सालों में यह एक असाधारण अवसर होगा, सर्वथा अद्वितीय, सर्वथा अपूर्व, जब कि इस अनुच्छेद का उपयोग करना चाहिए, इसकी मांग विधान सभा के सदस्यों की ओर से, पार्टियां की ओर से लगभग एक मत से हुई है। हम सांसद हैं और विशेषकर जो लोग लोकसभा में हैं, या जो विधान मंडलों में होते हैं, किसी विधान सभा में होते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि उनका पांच साल का कार्यकाल पूरा रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती न हो। लेकिन गोवा और गोवा की विधान सभा ने ऐसी स्थिति प्रस्तुत की कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार 40 सदस्यों में से 36 ने यह मांग की कि विधान सभा को भंग किया जाए। और राष्ट्रपति शासन के अधीन इस पर चुनाव करवाए जाएं। वैसे संक्षेप में अगर इतिहास कहूं तो इतना ही कहूंगा कि जब चुनाव हुआ 1994 में तब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दिसम्बर के महीने में चुनाव हुआ था। तो इसलिए वहां पर राज्यपाल ने जो सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस "आई", उसके नेता श्री प्रताप सिंह राणे को आमंत्रित करके कहा कि आप सरकार बनाइए। महीने के अंदर आप अपना बहुमत प्रमाणित करिए। उस महीने के अंदर एक विरोधी दल, एम.जी.पी., में विभाजन हो गया और उसके चार सदस्यों ने अलग दल बना करके कांग्रेस "आई" की सरकार का समर्थन किया। बहुमत प्रमाणित हो गया। साढ़े तीन साल तक उस बहुमत के आधार पर श्री प्रताप सिंह राणे वहां के मुख्य मंत्री रहे। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया और 10 सदस्यों ने, 10 विधायकों ने अलग हो करके एक राजीव गोआ कांग्रेस नाम से पार्टी बनायी। उस राजीव गोआ कांग्रेस ने दावा किया कि हमारा बहुमत हो गया है। फिर उनकी सरकार बनी और